

फर्द अहकाम

प्रहलाद व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर


472/25

नांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
------	----------------------	----------------

2025 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम हरध्यानपुरा, पटवार हल्का देवलिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 99 के खसरा नम्बर 130/2 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1600 है० का सीमाज्ञान उपतहसीलदार वगरु के आदेश क्रमांक:LR/2025/1018 दिनांक 26.05.2025 की पालना में दिनांक 28.05.2025 को उपस्थित खातेदारों के समक्ष खसरा नम्बर 150, किश्म गै.मु. चाह, खसरा संख्या 134 गै.मु.चाह, से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 130/2 के चारों कोनों का सीमांकन कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।

वहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.05.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत भविष्य में पडोसी काश्तकारों में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नहीं हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थी ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम हरध्यानपुरा, पटवार हल्का देवलिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 130/2 का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 28.05.2025 के अनुसार उभयपक्षों की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फँसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)